उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-13/2020/1459/94-स्टा0नि0-2-2020-700(21)/2020

लखनऊ दिनांक 22 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र, जनपद गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 में मेसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (एस.आई.ई.एल) द्वारा मेसर्स सैमसंग डिस्पले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित अन्तरण विलेख में सम्बन्धित सम्पत्ति पर स्थित नवीन निर्माण के मूल्य पर संदेय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती हैं।

स्पष्टीकरणः-

1. नवीन निर्माण का तात्पर्य सम्बन्धित सम्पत्ति पर वर्ष 2019 एवं 2020 में किये गये निर्माण से है, परंतु यह कि जिला का जिला मजिस्ट्रेट, ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि अन्तरण विलेख में दर्शित नवीन निर्माण वर्ष 2019 के पूर्व का नहीं है; तथा

2. उपरोक्त छूट, सम्बन्धित सम्पत्ति पर वर्ष 2019 से पूर्व किये गये निर्माण के मूल्य पर संदेय स्टाम्प शुल्क हेतु उपलब्ध नहीं होगी।

आज्ञा से,

वीना कुमारी

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः-13/2020/1459/94-स्टा0नि0-2-2020-700(21)/2020, दिनांकः 22 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 22.12.2020 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियाँ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अजय कुमार अवस्थी

विशेष सचिव।

संख्याः-13/2020/1459/94-स्टा0नि0-2-2020-700(21)/2020, दिनांकः 22 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबंध निदेशक, यू0पी0एल0सी0, उत्तर प्रदेश।
8. प्रबंध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, उत्तर प्रदेश।
9. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
12. समस्त उपायुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, जनपद-प्रयागराज।
13. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
14. भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार अवस्थी

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN

STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.13/2020/1459/94-S.R.-2-2020-700(21)/2020 dated 22 December, 2020.

Notification

Order

No.13/2020/1459/94-S.R.-2-2020-700(21)/2020

Lucknow; Dated: 22 December, 2020

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty payable on the value of new construction situated on the concerned property in the area of Noida Industrial Development Authority, District Gautambuddh Nagar, U.P., in the transfer deed executed by M/S Samsung India Electronics Limited (S.I.E.L.) in favour of M/S Samsung Display Noida Private Limited.

Explanation:-

1- New construction means construction made on the concerned property, in the year 2019 and 2020, provided that the District Magistrate of the District sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the new construction shown in the transfer deed is not of before the year 2019; and

2- The remission above shall not be available to the stamp duty payable on the value of the construction made on the concerned property before 2019.

By order

Veena Kumari

Pramukh Sachiv

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**